VISION

" To develop a scientific approach in young students to cultivate a scientific mind through creating opportunities of higher education in district Etah."

MISSION

" To prepare young boys and girls to act as player for the promotion of economic and intellectual development of the area and to play a creative role in the service of society to which they belong."

पुस्तकालय समिति :-

श्री सर्वेश कुमार – संयोजक
डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय – सदस्य
डॉ. मनोज सिंह – सदस्य

वित्त समिति

अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति/नामित सदस्य
प्राचार्य – सदस्य
श्री भूपेन्द्र सचान – सदस्य
श्री नन्द किशोर अग्निहोत्री – सदस्य
श्री अशोक कुमार जैन – सदस्य

परिसर साज-सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण समिति :-

डॉ. वाचस्पति यादव – संयोजक
श्री संजय यादव – सदस्य
श्री राम सिंह – सदस्य

भवन निर्माण एवं क्रय विक्रय समिति :-

डॉ. प्रवेश पाण्डेय – संयोजक
श्री सर्वेन्द्र कुमार – सदस्य
डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र – सदस्य

यू.जी.सी., रूसा एवं ए.आई.एस.एच.ई.समिति:-

डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र – संयोजक
डॉ. आसिफ कलीम – सदस्य
श्रीमती जया गुप्ता – सदस्य
डॉ. हर्षा शर्मा – सदस्य
श्री नन्दकिशोर अग्निहोत्री – सदस्य

चिकित्सा समिति :-

डॉ. गोपी चन्द्र गुप्ता – चिकित्साधिकारी
डॉ. मनोज सिंह – सदस्य
श्री अनूप कुमार सक्सैना – सदस्य

क्रीड़ा समिति :-

डॉ. आसिफ कलीम – संयोजक
डॉ. बाबूलाल भारती – सदस्य
डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र – सदस्य
श्री अनूप चतुर्वेदी – सदस्य

राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी :-

इकाई प्रथम – श्री संजय यादव
इकाई द्वितीय – श्रीमती जय गुप्ता
इकाई तृतीय – श्री रत्नेश कुमार मिश्र

शिकायत निवारण समिति:-

डॉ. शकील अहमद – संयोजक
डॉ. सुनील विप्रा – सदस्य
श्री भूपेन्द्र सचान – सदस्य
डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र – सदस्य
श्रीमती जया गुप्ता – सदस्य

महिला उत्पीड़न निवारण समिति:-

श्रीमती जया गुप्ता – संयोजक
डॉ. हर्षा शर्मा – सदस्य
डॉ. अनुपम जैन – सदस्य
श्रीमती सोनाक्षी द्विवेदी – सदस्य
कु. दिलप्रीत कौर – सदस्य

साइकिल स्टैण्ड समिति:-

श्री राम सिंह – संयोजक
डॉ. मनीष शर्मा – सदस्य
श्री सुशील कुमार – सदस्य

आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ:-

डॉ. बी.बी.एस. परिहार – अध्यक्ष
डॉ. शकील अहमद – समन्वयक
डॉ. सुनील विप्रा – सदस्य
श्री भूपेन्द्र सचान – सदस्य
डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र – सदस्य
डॉ. भूपेन्द्र शंकर – सदस्य
श्री अशोक कुमार जैन – सदस्य
श्री सुभाष शर्मा – सदस्य
श्री वीरप्रताप जैन – सदस्य
श्री शिवशंकर अग्रवाल – सदस्य
श्री अक्षय चतुर्वेदी – सदस्य
श्री मुकेश वार्ष्णेय – सदस्य
डॉ. दिनेश वशिष्ठ – सदस्य

एन्टी रेगिंग समिति :-

डॉ. वाचस्पति यादव – संयोजक
श्री संजय यादव – सदस्य
श्री राम सिंह – सदस्य

एन.ई.पी. परीक्षा प्रकोष्ठ :-

डॉ. अनुराग दुवे – संयोजक
डा. अमरदीप मिश्रा – सदस्य
श्री अनूप चतुर्वेदी – सदस्य
श्री अनूप कुमार सक्सैना – सदस्य
श्री आलोक रंजन वशिष्ठ – सदस्य

एन.ई.पी. वोकेशनल कोर्स प्रकोष्ठ :-

डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय – संयोजक
डॉ. अनुराग दुवे – सदस्य
श्री अशोक कुमार जैन – सदस्य
श्री आलोक रंजन वशिष्ठ – सदस्य

प्रशासनिक समितियाँ

प्रवेश समिति :-

स्नातक (कला संकाय)- बी0ए0 :-

1. डॉ. शकील अहमद – संयोजक
2. श्री भूपेन्द्र सचान – सदस्य
3. श्री संजय यादव – सदस्य
4. श्री सर्वेन्द्र कुमार – सदस्य
5. डॉ. आसिफ कलीम – सदस्य
6. श्रीमती जया गुप्ता – सदस्य
7. श्री सुशील कुमार – सदस्य

परास्नातक (कला संकाय)- एम0ए0 :-

1. डॉ. शकील अहमद – संयोजक
2. डॉ. सुनील विप्रा – सदस्य
3. श्री भूपेन्द्र सचान – सदस्य
4. डॉ. बाबूलाल भारती – सदस्य
5. डॉ रत्नेश कुमार मिश्र – सदस्य
6. श्रीमती जया गुप्ता – सदस्य
7. डॉ. हर्षा शर्मा – सदस्य
8. श्री अनूप कुमार सक्सैना – सदस्य

स्नातक (विज्ञान संकाय)-बी0एस-सी0 :-

1. डॉ. अनुराग दुवे – संयोजक
2. डॉ. अखिलेश कुमार – सदस्य
3. डॉ. प्रद्युम्न चतुर्वेदी – सदस्य
4. डॉ. हृदेश शर्मा – सदस्य
5. डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा – सदस्य
6. डॉ. मनीष शर्मा – सदस्य
7. श्रीमती रजनी – सदस्य

परास्नातक (विज्ञान संकाय)- एम0एस-सी0 (गणित):-

1. डॉ. अखिलेश कुमार – संयोजक
2. श्री अनूप कुमार सक्सैना – सदस्य

स्नातक (वाणिज्य संकाय)- बी0कॉम0:-

1. डॉ. मोहन वार्ष्णेय – संयोजक
2. डॉ. अमरदीप मिश्रा – सदस्य
3. डॉ. सतेन्द्र दीक्षित – सदस्य
4. श्रीमती रजनी – सदस्य

परास्नातक (वाणिज्य संकाय)- एम0कॉम0:-

1. डॉ. अमरदीप मिश्रा – संयोजक
2. डॉ. सतेन्द्र दीक्षित – सदस्य
3. श्री अनूप कुमार सक्सैना – सदस्य

बी.बी.ए. संकाय :-

1. श्री अंकित कुदेशिया – संयोजक
2. श्रीमती सोनाक्षी द्विवेदी – सदस्य
3. कु. दिलप्रीत कौर – सदस्य
4. श्री अशोक जैन – सदस्य
5. श्री आलोक रंजन वशिष्ठ – सदस्य

अनुशासन समिति

डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय – मुख्य अनुशासक
श्री भूपेन्द्र सचान – सदस्य
डॉ. आसिफ कलीम – सदस्य
डॉ. हर्षा शर्मा – सदस्य
डॉ. अनुराग दुबे – सदस्य
डॉ. हृदेश शर्मा – सदस्य
डॉ. अमरदीप मिश्रा – सदस्य
डॉ. नीलम गुप्ता – सदस्य
श्री डी.एन. मिश्रा – सदस्य
श्री अनूप चतुर्वेदी – सदस्य

सांस्कृतिक समिति :-

डॉ. सुनील विप्रा – संयोजक
श्री भूपेन्द्र सचान – सदस्य
डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र – सदस्य
श्रीमती जया गुप्ता – सदस्य
डॉ. हर्षा शर्मा – सदस्य
कु. जागृति – सदस्य
श्री अशोक कुमार जैन – सदस्य

छात्र कल्याण एवं छात्रवृत्ति समिति :-

डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय – संयोजक
डॉ. सुनील विप्रा – सदस्य
श्री भूपेन्द्र सचान – सदस्य
डॉ. मनोज सिंह – सदस्य
डॉ. आसिफ कलीम – सदस्य

पत्रिका समिति :-

श्री भूपेन्द्र सचान – संयोजक
श्री संजय यादव – सदस्य
डॉ. रत्नेश मिश्र – सदस्य

महाविद्यालय परिवार

प्रो० (डॉ.) बी०बी०एस० परिहार

M.Sc. (Stats), M.A. (Eco.), M.B.A., Ph.D.

प्राचार्य

राजनीति शास्त्र विभाग :–

1.	डॉ. शकील अहमद	M.A., NET, Ph.D.	एसोसिएट प्रोफेसर
2.	डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र	M.A., NET-JRF, Ph.D.	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग :–

1.	श्री भूपेन्द्र सचान	M.A., NET	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

अर्थशास्त्र विभाग :–

1.	श्री रामअवध सिंह यादव	M.A., NET	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
2.	डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय	M.A., Ph.D.	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
3.	श्रीमती जया गुप्ता	M.A., NET	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

हिन्दी विभाग :–

1.	डॉ. वाचस्पति यादव	M.A., Ph.D.	एसोसिएट प्रोफेसर
2.	डॉ. बाबूलाल भारती	M.A., Ph.D.	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
3.	कु. जागृति सिंह	M.A., NET	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

संस्कृत विभाग :–

1.	श्री सर्वेन्द्र कुमार	M.A., NET	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

अंग्रेजी विभाग :–

1.	डॉ. हर्षा शर्मा	M.A., NET, Ph.D.	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
2.	डॉ. अनुपम जैन	M.A., Ph.D.	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

भूगोल विभाग :–

1.	डॉ. सुनील विप्रा	M.A., NET, Ph.D.	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
2.	श्री संजय यादव	M.A., NET	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
3.	श्री राम सिंह	M.A., NET	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
4.	डॉ. मनोज सिंह	M.A., Ph.D.	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

इतिहास विभाग :– प्रबन्ध समिति की व्यवस्था के अन्तर्गत।

शारीरिक शिक्षा विभागः–

1.	डॉ. आसिफ कलीम	M.P.Ed., M.Phil.,NET, Ph.D.	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

गृह विज्ञान, संगीत वादन(तबला) एवं ऑफिस मेनेजमेन्ट :– प्रबन्ध समिति की व्यवस्था के अन्तर्गत।

B.Sc., B.Com., B.B.A., M.Sc. (Maths), M.Com., PGDCP:- प्रबन्ध समिति की व्यवस्था के अन्तर्गत।

कार्यालय :–

1.	श्री अशोक कुमार जैन	–	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री आलोक रंजन वशिष्ठ	–	स्टैनो/वैयक्तिक सहायक
3.	श्री नन्द किशोर अग्निहोत्री	–	लेखाकार
4.	श्री अनूप कुमार सक्सेना	–	नैत्यिक लिपिक
5.	श्री सुशील कुमार सिंह	–	नैत्यिक लिपिक
6.	कु. रजनी	–	नैत्यिक लिपिक
7.	श्री प्रदीप बाबू	–	नैत्यिक लिपिक

चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी :–

1. श्री योगेश चन्द्र गौतम
2. श्री राम निवास
3. श्री शिवकृष्ण
4. श्री विनीत कुमार पाठक
5. श्री विनोद कुमार
6. श्री संजय कुमार

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

Eligibility	:	Intermediate or 10+2 Candidate must be good in English.
Intake	:	60 Seats.
Duration	:	3 Years (6 Semesters)
Admission	:	Through Merit List.
Fee	:	Rs. 7500(Per. Semester) + Rs. 1570 (Univ. Exam Fee per semester) + Rs. 300 (Enrolment fee In Ist Semester Only) (सभी सेमिस्टर के छात्र/छात्राओं को वि.वि. के परीक्षा फार्म भरने के समय परीक्षा शुल्क स्वयं जमा करना होगा।)

Post Graduate Diploma in Computer Programming (PGDCP)

Eligibility	:	Bachelor (*स्नातक*)
Intake	:	30 Seats
Duration	:	1 Year
Fee	:	Rs. 9000 /-

राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित है। सरकार का यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत स्नातक स्तर के छात्र/छात्राएँ दो वर्ष तक विविध समाज सापेक्ष कार्य सम्पन्न कर प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं जिसमें विविध स्तरों पर अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। समाज सेवा के इस कार्य से छात्र/छात्राओं को प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेकानेक उपलब्धियों एवं पुरस्कारों की सतत् सम्भावना रहती है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.)
NATIONAL CADET CORPS

राष्ट्रीय कैडेट कोर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक महत्वपूर्ण युवा संगठन है। देश में लगभग 14 लाख कैडेट हैं। इस कोर में छात्र/छात्राएँ दो वर्ष तक प्रशिक्षण एवं एक कैम्प के साथ परीक्षा उपरान्त 'बी' प्रमाण पत्र एवं तीन वर्ष तक प्रशिक्षण एवं दो कैम्प के बाद परीक्षा उपरान्त 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। महाविद्यालय में एन. सी. सी. की सब-यूनिट 2Pl 6/9 UPNCC COY, 9 UP BN NCC हाथरस से इस वर्ष संचालन प्रस्तावित है। एन. सी. सी. प्रशिक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं को अनेक रोमांचकारी, साहस एवं ज्ञानवर्धक कैम्पों में भेजा जाता है। इन्हीं कैम्पों में गणतन्त्र दिवस परेड हेतु कैडेटों का चयन किया जायेगा।अधिक जानकारी एन. सी. सी. कार्यालय से अपेक्षित होगी।

13. सांस्कृतिक कार्यक्रम: – कॉलेज में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है जिसमें निबन्ध-लेखन, वाद-विवाद, भाषण, नृत्य व गायन, रंगोली, मेंहदी आदि प्रतियोगितायें सम्मिलित हैं।

14. आन्तरिक गुणवत्ता प्रमाणन प्रकोष्ठ: – उक्त प्रकोष्ठ जो कॉलेज के शैक्षणिक एवं अन्य गतिबिधियों का सत्र के लिये निर्धारण व उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। छात्रों को अध्यापन से सम्बन्धित या अन्य कोई कॉलेज से सम्बन्धित कठिनाई है तो इस प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते है।

15. एंटी रैगिंग सैल: – कॉलेज में एंटी रैगिंग सैल भी कार्यरत है। किसी छात्र अथवा छात्रा का उत्पीड़न सर्वथा वर्जित है पकड़े जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

16. कॉलेज पत्रिका: – कॉलेज पत्रिका 'विवेक दृष्टि' छात्रों को स्वतन्त्र लेख एवं पत्रकारिता के विकास का सुअवसर प्रदान करती है। अध्यापको के निर्देशन में पत्रिका का सम्पादन होता है। रचनायें मौलिकता के निर्धारित प्रमाण-पत्र के साथ सम्पादक को प्रेषित की जायेगी।

विशेषः

1. जो छात्र/छात्रा गत सत्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए होंगे, उन्हें संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा केन्द्र पर अनुचित साधन प्रयोग के दोषी छात्र/छात्राओं का प्रवेश नहीं हो सकेगा।
3. अनुशासनहीन, अपराधी अथवा निष्कासित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को पुन: अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। किसी भी दशा में डुप्लीकेट **T. C.** जारी नहीं होगी।

प्रवेश नियमावली – 2022–23

महाविद्यालय के प्रवेश नियम

1. निर्धारित योग्यता वाले प्रार्थियों के लिये उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार प्रवेश खुला है किन्तु प्राचार्य बिना कोई कारण बताये हुए किसी भी प्रार्थी का प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं। कोई प्रार्थी अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की मांग नहीं कर सकता। चाहे वह प्रवेश के योग्य क्यों न हो?
2. प्रवेश समितियों की संस्तुति पर डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों, योग्यता क्रमानुसार, साक्षात्कार का आयोजन कर, प्रत्येक कक्षा में उपलब्ध रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी।
3. किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश तब पूर्ण माना जायेगा जबकि संकाय द्वारा उनका साक्षात्कार किया जा चुका हो तथा उनके द्वारा प्रवेश का आदेश देने के पश्चात् उसने निर्धारित पूर्ण शुल्क व वांछित प्रमाणित प्रमाण–पत्र जमा कर दिये हों तथा विधिवत् प्रवेश सूची में उसका नाम आ गया है। शुल्क जमा करने में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
4. प्रवेश की पुष्टि के बाद किसी भी समय यह मालूम होने पर कि किसी प्रार्थी ने कोई असत्य अथवा अशुद्ध वक्तव्य दिया था अथवा उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी अनुचित या छलयुक्त साधन का प्रयोग किया गया था, तो ऐसे प्रार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश रद्द कर उसका नाम कॉलेज पंजिका से काट दिया जायेगा।
5. किसी भी ऐसे छात्र को किसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जो अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा कॉलेज से निष्कासित अथवा काली सूची में अंकित किया गया हो अथवा जो किसी विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहा हो।
6. किसी छात्र का प्रवेश आवेदन–पत्र केवल उसी संकाय में विचाराधीन होगा जिस संकाय में उसका आवेदन–पत्र पंजीकृत हुआ है। एक बार पंजीकृत होने के उपरान्त संकाय परिवर्तन संभव नहीं होगा।
7. जो छात्र/छात्रायें अपने परिवार (माता/पिता) के साथ नहीं रहते हैं उनको विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्थानीय संरक्षक की देख–रेख में रहना है और स्थानीय संरक्षक का नाम/पता उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
8. प्रवेश मिलने के बाद किसी भी समय बुलाये जाने पर माता/पिता अथवा अभिभावक प्राचार्य के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे और यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. छात्र/छात्रायें कॉलेज में अनुशासनहीनता करते हुए या परीक्षाओं में नकल या दुर्व्यवहार के दोषी या जिन पर न्यायालय में आपराधिक मामला विचाराधीन हो, उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा।
10. छात्रों का यह दायित्व होगा कि वह कॉलेज में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर संपर्क करते रहे, और सूचना पट पर दी गयी सूचनाओं को ध्यान रखें। यदि संपर्क न करने के कारण नीचे की मेरिट के छात्र प्रवेश सूची में स्थान पा जायेगें तो प्रवेश न होने का सम्पूर्ण दायित्व आपका ही होगा।
11. विषय परिवर्तन की अनुमति सामान्यत: नही दी जा सकेगी।
12. शारीरिक शिक्षा विभाग: – कॉलेज में विशाल क्रीड़ा स्थल है जहॉ बास्केट बॉल, बॉलीबाल, ऐथलैटिक्स, टेबिल टेनिस, व्यायामशाला, क्रिकेट, बैडमिण्टन, खो–खो, आदि खेलने के लिये सम्पूर्ण सुबिधायें उपलब्ध है।

शैक्षणिक कैलेंडर (Academic Calendar) सत्र 2022–2023

क्र.सं.	शैक्षणिक कार्यक्रम	दिनांक
1.	स्नातक प्रथम सेमेस्टर संत्र 2022–23 के वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि	15.06.2022 से 30.06.2022
2.	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर के वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि	01.07.2022 से 10.07.2022
3.	स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि	05.07.2022 से 15.07.2022
4.	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम विषय सेमेस्टर प्रवेश की तिथि	16.06.2022 से 26.06.2022
5.	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम विषम सेमेस्टर प्रवेश की तिथि	15.06.2022 से 25.06.2022
6.	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	15.06.2022 से 23.06.2022
7.	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम विषम सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि	26.11.2022 से 24.12.2022
8.	स्नातक, परास्नातक प्रथम वर्ष व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरने की तिथि	01.09.2022 से 30.09.2022
9.	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने की तिथि	20.012023 से 30.01.2023
10.	स्नातक, परास्नतक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर के मिड सेमेस्टर परीक्षा की तिथि	10.03.2023 से 20.03.2023
11.	स्नातक, परास्नतक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर के प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	21.03.2023 से 31.03.2023
12.	स्नातक, परास्नतक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर एवं स्नातक तथा परास्नातक व्यक्तिगत परीक्षा प्रारम्भ तिथि	16.04.2023 से 15.05.2023
13.	सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाफल घोषित होने की तिथि	30.05.2023

कुलसचिव

दो सह–पाठयक्रम एवं दो व्यवासायिक पाठयक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।

• द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीयय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) दो सह–पाठयक्रम तथा दो व्यवासायिक पाठयक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

• तृतीया वर्ष तक 132 संचित क्रडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय दो सह–पाठयक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

• चतुर्थ वर्ष तक 184 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख वृहद शोध परियोजनायें सम्मिलित होंगी। जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध सहित स्नातक Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

• पंचम वर्ष तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनायें सम्मिलित होंगी। जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर Master in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

• षष्ठम वर्ष तक 248 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होंगी। जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा शोध (P.G.D.R.& Post Graduate Diploma in Research) प्रदान किया जा सकता है।

14.2 प्राथमिकता के आधार पर सातवे और आठवें वर्ष में अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षो में शोध – प्रबन्ध ;त्मेमंतबी जीमेपेद्ध जमा करना होगा, जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी–एच0डी0 की उपाधि प्रदान की जायेगी।

14.3 यूनिफार्म क्रडिट एवं ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण शासकीय निर्देशों के अनुरुप प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरुप किया जायेगा।

14.4 प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नही लेंगे।

14.5 स्नातक पाठयक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठयक्रम का अध्यनन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite)की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगत्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

12.10 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि–क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ– यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

12.11 रोजगारपरक पाठयक्रमों में क्रेडिट – रोजगार परक पाठयक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

13. उपस्थिति एवं परीक्षा व्यवस्था

13.1 परीक्षा देने से पूर्व में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

13.2 किसी पाठयक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए प्रथक रुप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

13.3 सभी विषयों के प्रश्नत्र 100 अंको के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

13.4 सभी विषयों की परीक्षा 100 में 25 अंको के लिए सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Evaluation : CIE) एवं 75 अंकों के लिए वाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी। 25 अंको का आन्तरिक मूल्यांकन पाठयक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा ।

13.5 महाविद्यालय केन्द्रीकष्त व्यवस्था या अन्य शुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरुप सतत आन्तरिक मूल्यांकन करायेंगे तथा असाइनमेंट,क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं व अन्य रिपोर्टो को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा। सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

13.6 रोजगारपरक पाठयक्रमों की परीक्षा : रोजगारपरक पाठयक्रमों की थ्यौरी/सामान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालयी संस्थानों/महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इंटर्नशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।

13.7 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इंटरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफ लाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते है।

13.8 थ्यौरी एवं स्किल पार्ट (Theory and Skill Part) के अंक प्राप्त होने के पश्चात् समयान्तर्गत महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रुप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं।

14. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान,वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाशाएँ तथा कृशि संकायों पर लागू होगी। तहनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित हैः

• स्नातक पाठयक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय,

11.1 विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले (Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यताधारित कर सकेगा।)

11.2 विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तष्तीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

12. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारणः

12.1 क्रेडिट के आधार पर शिक्षण कार्य : थ्यौरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

12.2 प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्यौरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

12.3 क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण – क्रेडिट संबधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या–1816/सत्तर–3–2021 दिनांक 09–08–2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे।

12.4 वर्षवार/मॉड्यूलवार पाठ्यक्रमों के नामः विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 ले सकता है।

12.5 क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् रि–क्रेडिट की सुविधा–एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष वास्तविक तष्तीय वर्ष में (92–46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

12.6 योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) को सुविधा–यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12.7 संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं – द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडित सर्टिफिकेट की श्रेणी में आंएगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

12.8 छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री – तीन वर्षो में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

12.9 बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) – यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके

7. समझौता ज्ञापन (MOU) एवं सीट निर्धारण –

7.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सथ किये गये समझौता ज्ञापन (MOU) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/ 2020 दिनांक 22–02–2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MOU) किया गया है।

8. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

8.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्ष (छ सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठयक्रम 40 प्रतिशत अंको के साथ अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पाठ्यक्रम निम्नवत् हैः

प्रथम सेमेस्टर : भोजन, पोषण और स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

द्वितीय सेमेस्टर : प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health)

तष्तीय सेमेस्टर : मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

चतुर्थ सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga)

पंचम सेमेस्टर : विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytic Ability and Digital Awareness)

8.2 स्नातक स्तर के अनिवार्य सह–पाठ्यक्रमों के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।

9. शोध परियोजना :

9.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी0जी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी को पांचवे से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी0जी0डी0आर0 में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पीएच0डी0 कोर्स वर्क के अनुसार बाद में निर्धारित करेगा।

9.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोधा परियोजना इंटरडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/ इंटर्नशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

9.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को–सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्थान, शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनो सेमेस्टर में की गई शोध ा परियोजना का संयुक्त प्रबंध जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जाएगा।

9.4 स्नातक स्तर एवं पी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांको पर अधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

9.5 स्नातक शोध सहित एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

10. कक्षाओं हेतु समय–सारिणी :

10.1 सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time Table) इस प्रकार तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव क सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती है तथा उनकी कक्षाओं के समय से ओवरलैपिंग न हो।

10.2 कॉलेज समय–सारणी में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्यौरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है। ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, इन्टर्नशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय–सारिणी के पश्चात् करायी जा सकती है। अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

11. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता आगामी सेमेस्टर में प्रवेशः

5.3 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है, अर्थात विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव/आवंटन, संस्थान/महाविद्यालय में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

5.5 एन0सी0सी0 एक लघु–वैकल्पिक विषय, माईनर इलेक्टिव

5.5.1. लघु–वैकल्पिक (Minor Elective) पेपर के रूप में एन0सी0सी0 को भी सम्मिलित किया गया है। यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्षों (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा। (शासनादेश सं0 1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 09.08.2021)

5.5.2. एन0सी0सी0 लघु वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एन0सी0सी कैडिटों के लिये उपलब्ध होगा परन्तु कालांतर में संसाधन एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जायेगा।

6. कौशल–विकास/रोजगारपरक (Skill Development/Vocational) पाठ्यक्रमों का संचालन एवं चुनाव किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश :–

रोजगार पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या – 1969/सत्तर–3–2021 दिनांक 18–08–2021 के अनुपालन में निम्न व्यवस्था लागू होगी–

6.1 पाठ्यक्रम : विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों / पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्या परिषद एवं कार्य परिषद इत्यादि के नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा।

6.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर / स्किल डेवलपमेन्ट कॉउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/ एन0एस0क्यू0एफ0 (NSQF : National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा ताकि छात्रों के प्लेसमेण्ट/इन्टर्नशिप में सुविधा मिल सके।

6.3 पाठ्यक्रम के प्रकार : पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते है जिनका चुनाव विद्यार्थी अपनी पसन्द एवं महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर कर सकेगा।

Individual Nature : एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम।

Progressive Nature : एक ही पाठ्यक्रम जिसकी प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सकेगा।

6.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्यौरी एवं स्किल/ट्रैनिंग / इन्टर्नशिप/लैब का अनुपालन 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन करेगा।

6.5 सामान्य/थ्यौरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट –30 घंटो का होगा अर्थात 3 क्रेडित के पाठ्यक्रम में 15 घंटे की थ्योरी 1 क्रेडिट तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/ इन्टर्नशिप/ लैब 2 क्रेडिट होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 इन्टर्नशिप/ लैब 2 क्रेडिट होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3 x 4 = 12 केडिट के कुल चार पाठ्यक्रम का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational / Skill Development) पूर्ण करा होगा।

6.6 विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में वह कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में अपने प्रवेश के पश्चात् (UGC, SWAYAM, MOOCs etc-) पोर्टल पर उपलब्ध रोजगारपरक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अर्जित किये गये क्रेडिट के सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा कराऐंगे जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथास्थान जोड़ा जा सके।

छह वर्ष में स्नातक डिग्री, चार वर्ष में शोध सहित स्नातक डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकात्तर, डिग्री इन्टीग्रेटिड छह वर्ष की पी0जी0डी0आर0 तथा शोध उपाधि मिलेगी यथा बी0ए0 बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0।

2.2 : विद्यार्थियों को बहु विषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश–संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी यथा 1. विज्ञान संकाय, 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला संकाय, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय, 10. प्रबन्धन संकाय, 11. वोकेशनल स्टडीज संकाय।

2.3 संकाय एक प्रवषत्ति के विषयों का एक समूह है यथा कला संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विधि संकाय इत्यादि। विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जिस संकाय से दो विषयों का चयन करेगा वह उसके मुख्य विषय (Major Subjects) कहलायेंगे तथा वह विद्यार्थी की Own Faculty या निजी संकाय होगी।

2.4: एक विषय एक संकाय में सूचित होगा।

2.6: एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रेक्टिकल के पेपर को पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा एवं दोनों के कोड अलग–अलग होंगे।

3. प्रवेश प्रक्रिया

3.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँगे तथा डब्ल्यू0आर0एन0 नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान/विभाग, महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे।

3.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो विषयों के आधार पर प्रदान की जाने वाली डिग्री यथा बी0ए0 बी0एस0सी0 अथवा बी0कॉम0 में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा।

3.3 प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंको की व्यवस्था डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 कें लिये गये निर्णय के अनुसार होगी जब तक कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रवेश समिति की बैठक में उक्त के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो जाता।

4. विषयों की चयन व्यवस्था–

4.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय, कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य मेजर विषयों का चुनाव करना होगा, जिसका आवंटन महाविद्यालय में मैरिट, उपलब्ध सीट की संख्या व संसाधनों पर निर्भर करेगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष प्रथम से छठे सेमेस्टर तक अथवा पाँच वर्ष स्नातक व परास्नातक तक अध्ययन कर सकेगा।

4.2 इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Own Faculty) से हो सकता है। इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाये के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।

5. माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव

5.1 बहु विषयकता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा दूसरे संकायों के विषयों में से कर सकते है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय से हो। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक–एक माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा।

आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेगें। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की गई है।

9 (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन नहीं किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेगे और कुलपति का निर्णय अधिकार सुरक्षित होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमुानसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय में अग्रसारित नहीं करेगे।

(स) प्रविष्टि छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और बेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों का अद्यतन ''अप–टूडेट'' जानकारी रखे, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दर्षष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ, उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इंटर की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड/प्रांत द्वारा इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, अनिवार्य है।

12. नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से लागू करने सम्बन्धी दिशा निर्देश

1. पाठय्क्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय–सारिणी

1.1:राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ द्वारा निर्देशित यह नियमावली सत्र 2021–22 में तीन विषयों वाले स्नातक पाठ्यक्रमों बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 में प्रवेशित विद्यार्थियों पर सी0बी0एस0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम के साथ लागू होगी तथा 2021–22 में प्रवेशित स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में उपाधि प्राप्त होने तक यह नियमावली लागू नहीं होगी।

1.2: बी0ए0, बी0एससी0,बी0कॉम0 एकल विषय स्नातक पाठ्यक्रमों तथा पी0एच0डी0 कार्यक्रम में सी0बी0एस0एस0 आधारित यह नवीन व्यवस्था 2022–23 से लागू होगी।

1.3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत की जा रही यह व्यवस्था चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा (बी0टेक0, एम0सी0ए0 आदि) विधि (बी0ए0 एलएल0बी0, एल0एल0बी0 इत्यादि) एवं बी0एड0 में उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था तैयार करने के बाद लागू की जायेगी।

2. कार्यक्रम एवं संकाय

2.1 : विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का पूर्ण अनुपालन करने पर अपने संकाय में एक वर्ष में सर्टीफिकेट, दो वर्ष में डिप्लोमा, तीन वर्ष में स्नातक डिग्री, चार वर्ष में शोध सहित स्नातक डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर, डिग्री इन्टीग्रेटिड

एन0सी0सी0 ''बी''क्रेडिट सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0क्रेडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 3 अंक
कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प 5 अंक
पूरा करने के लिए

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने 3 अंक
एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो।

अथवा

महाविद्यालय स्तर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
(ग) तष्तीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

नोटः–

उपर्युक्त 1 से 5 सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अकिारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधि ाकारी, स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/ एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स)द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ख) सभी कक्षायेः

1. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्तपोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कर्षि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री 17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी पुत्र–पुत्री (अविवाहित)। 10 अंक

3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। 17 अंक

टिप्पणीः

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अंको की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा। यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंको के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट–

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवर्षत्ति से पूर्व मष्त्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त ''1'' से ''3'' के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी, स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

8. (अ) कर्षि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धि ात नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रो को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके

में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
(vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षिक अंको की गणना :–

7. (क) स्नातक कक्षायें:–

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 50 प्रतिशत अंको/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत अंको/ग्रेड दोनों।

(ख). स्नातकोत्तर कक्षायें:–

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंको, जहाँ अनुमन्य हो, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंको का कुल योग 17 अंको से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
(क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
(ग) तष्तीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

2. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है, 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को 5 अंक
5. बी0 कॉम (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:–

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 8 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 7 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तष्तीय विजेता होने के लिए – 6 अंक
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए – 3 अंक
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तष्तीय विजेता होने के लिए – 3 अंक
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक
3. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6 (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी।

1. बी0एस0सी0 (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. बी0एस0सी0 (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
3. बी0एस0सी0 (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
4. बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. बी0ए0 / बी0कॉम0 के लिए इण्टरमीडिएट के किसी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
6. प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर मे प्रवेश हेतु यदि छात्र / छात्रा ने वाणिज्य अथवा कला वर्ग से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अपने वर्ग (वाणिज्य व कला वर्ग) में प्रवेश हेतु पांच अंक Weightage का दिया जायेगा।
7. विश्वविद्यालय के सम्बन्धित महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश मैरिट के आधार पर किया जायेगा।

(ब) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level alogn with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट–1)

(स) कृषि / विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0(कषषि) / बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 बोर्ड / समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईंट / मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगेः

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र / छात्रा भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35 / सत्तर–1–2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र–छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) क्रमांक–ii क्रमांक – iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक – i के अभ्यर्थियों से योग्यतानुसार क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकष्त हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुल सचिव के हस्ताक्षर युक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(i) अधिष्ठाता छात्रा कल्याण।

(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य–चक्रानुसार।

(iii) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिसन विभाग का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोटः– कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(vi) समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं

(व) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(श) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 30 जून, 2022 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद प्रवेश ले सकेंगे।

- महाविद्यालय खुलने की तिथि : 01 जुलाई, 2022
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में (सभी संकाय) में : 15 जून, 2022
- पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 30 जून, 2022
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आरम्भ की तिथि : 05 जुलाई, 2022
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में अन्तिम की तिथि : 15 जुलाई, 2022
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं में पठन–पाठन : 16 जुलाई, 2022
- आरम्भ करने की तिथि
- स्नातकोत्तर एवं विधि (त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष की अन्तिम तिथि : 26 जुलाई, 2022
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 27 जुलाई, 2022

नोट– सभी तिथियाँ विश्वविद्यालय से समय–समय पर प्राप्त होने वाली निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय है। उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3.(अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(ब). महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स). स्नातक एवं स्नातकोत्तर के ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष पूर्ण कर लिया है एवं परास्नातक स्तर पर पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण कर लिया है, यदि किन्हीं कारणोवश आगामी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत छात्र के रूप में देना चाहते है एवं उनके पास कोई प्रयोगात्मक विषय नहीं है तथा अन्तराल के नियमों के अन्तर्गत आते है, वे समस्त छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकते है। (यदि व्यक्गित परीक्षायें सम्पन्न कायी जाती है।)

(द) जो छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक व स्नातकोत्तर व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए परीक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम पूर्ववत रहेगा।

4. नियमानुसार एल0एल0बी0 06 वर्ष, बी0ए0एल0एल0बी0 08 वर्ष, स्नातक कषषि अधिकतम 07 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 06 वर्ष परास्नातक अधिकतम 05 में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा। अन्तराल को दषष्टिगत रखते हुये प्रवेश का निर्णय महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा लिया जायेगा तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा जायेगा।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का विवरण पुस्तिकाके अध्याय–19 के नीचे उद्धष्त अध्यादेश–2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे।

"Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University, Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith-"

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

आरक्षित होंगे। विकलांगो के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्र/छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी। यदि एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अथवा उससे ऊपर आती है उसको प्रवेश अनारक्षित श्रेणी में दिया जायेगा।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की बेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की बेवसाइट तथा महाविद्यालय की बेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रद्द कराना होगा।

2. (अ) सत्र 2022–23 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा प्रवेश शुल्क के साथ 300/– रू0 उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

(ब) एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक श्रेणी एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंको एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(स)(i) एल0एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इण्टमीडिएट) अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को स्नातक एवं बी0ए0एल0एल0बी0 में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक अनारक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवंम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(द) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बी0पी0ई0एस0 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। प्रवेश हेतु एन0सी0टी0ई0 की भी अन्य शर्तें मान्य होंगी।

(य) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो, परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है।

(र) एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा। PCM/ Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B.Tech & BCA उपरोक्त विषयों में स्नातक अनारक्षित एवम् उपरोक्त विषयों में स्नातक अनारक्षित एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंको की छूट मान्य होगी।

(ल) एम0एस0सी0(एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बी0एस0सी0(एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम0एस0सी0(एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बी0एस0सी0(एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक प्रतिशत 45 प्रतिशत होना चाहिए तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र – 2022–2023

सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. **प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल https://rmpssu.org पर समयबद्ध सफल पंजीकरण करना अनिवार्य है।**
2. **योग्यता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल https://rmpssu.org के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेंगे।**
3. **10% आरक्षण नीति EWS के लिए लागू होगी।**
4. **विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।**

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान तथा विधि संकायो की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उसका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेंगे।

2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

3. सत्र 2022–23 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पांच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म Offiline/Online माध्यम से पूर्ण करने छठे चरण में जिस महाविद्यालय को चुना/चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा/निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://rmpssu.org के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी।

5. महाद्यिालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 200/– रू0 तथा परास्नातक स्तर 300/– रू0 शुल्क वेब रजिस्ट्रशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रॉस्पेक्टस'' तैयार करायेगा, जिसमें निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 250/– रूपये नकद सत्र 2022–23 के लिए रखा जायेगा।

(ब). विवरण पुस्तिका में सत्र 2022–2023 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलांगो के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा–श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रति ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए

शुल्क विवरण 2022-23

कला संकाय का सेमेस्टर शुल्क का विवरण

कक्षा	शिक्षण शुल्क	मँहगाई भत्ता	वार्षिक शुल्क	भूगोल गृह विज्ञान संगीत लैब शुल्क	वि.वि. परीक्षा शुल्क प्रति सैमे.	नामांकन शुल्क	वि.वि. प्रैक्टीकल शुल्क प्रति सैमे.	प्र.प./ डिप्लोमा /उपाधि शुल्क	रोवर्स–रेंजर्स खेलकूद /संस्कृति शुल्क	भूगोल टूर शुल्क	महायोग
बी.ए.–प्रथम/तृतीय सेमेस्टर	132	42	966	–	1500	300	–	300	–	–	3240
बी.ए.–प्रथम/तृतीय सेमेस्टर भूगोल	132	42	966	265	1500	300	200	300	–	–	3704
बी.ए.–द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर	–	–	–	–	1500	–	–	300	150	–	1950
बी.ए.–द्वितीय/चतुर्थ सेमे. भूगोल	–	–	–	–	1500	–	200	300	150	–	2150
गृह विज्ञान एवं संगीत वादन (तबला)	–	–	–	500	–	–	200	–	–	–	–
ऑफिस मैनेजमेंट	–	–	–	2000	–	–	200	–	–	–	–

नई शिक्षा नीति व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रति सेमेस्टर फीस रू. 250.00

कला संकाय का वार्षिक शुल्क का विवरण

कक्षा	शिक्षण शुल्क	मँहगाई भत्ता	वार्षिक शुल्क	भूगोल गृह विज्ञान संगीत लैब शुल्क	वि.वि. परीक्षा शुल्क	नामांकन शुल्क	वि.वि. प्रैक्टीकल शुल्क	उपाधि शुल्क		भूगोल टूर शुल्क	महायोग
बी.ए.–तृतीय वर्ष	132	42	966	–	1500	–	–	200	–	–	2840
बी.ए.–तृतीय वर्ष भूगोल	132	42	966	265	1500	–	200	200	–	–	3305
एम.ए.–प्रथम वर्ष	180	42	974	–	2000	–	–	–	–	–	3196
एम.ए.–प्रथम वर्ष भूगोल	180	42	974	265	2000	–	200	–	–	2000	5661
एम.ए.–द्वितीय वर्ष	180	42	974	–	2000	–	200	200	–	–	3596
एम.ए.–द्वितीय वर्ष भूगोल	180	42	974	265	2000	–	200	–	–	2000	5661

स्ववित्तपोषित संकाय सेमेस्टर शुल्क का विवरण – 2022–23

कक्षा	प्रति सेमेस्टर शुल्क	लैब फीस प्रति सेमेस्टर	योग	वि.वि. परीक्षा शुल्क प्र.सै.	नामांकन शुल्क	वि.वि. प्रैक्टीकल शुल्क प्र.सै.	रोवर्स /रेंजर्स शुल्क	प्रमाण पत्र /डिप्लोमा /उपाधि प्र.सै. शुल्क	महायोग
बी.एस.सी.–प्रथम सेमेस्टर	2000	800	2800	1500	300	200	150	300	5250
बी.एस.सी.–द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ	2000	800	2800	1500	–	200	150	–	4650
बी.कॉम.–प्रथम सेमेस्टर	2500	–	2500	1500	300	–	150	300	4750
बी.कॉम.–द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ	2500	–	2500	1500	–	–	150	–	4150

नई शिक्षा नीति व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रति सेमेस्टर फीस रू. 250.00

स्ववित्तपोषित संकाय का वार्षिक शुल्क का विवरण – 2022–23

कक्षा	प्रति सेमेस्टर शुल्क	लैब फीस प्रति सेमेस्टर	योग	वि.वि. परीक्षा शुल्क प्र.सै.	नामांकन शुल्क	वि.वि. प्रैक्टीकल शुल्क प्र.सै.	रोवर्स /रेंजर्स शुल्क	प्रमाण पत्र /डिप्लोमा /उपाधि प्र.सै. शुल्क	महायोग
बी.एस.सी.–तृतीय वर्ष	3800	1200	5000	1500		200		200	6900
बी.कॉम.–तृतीय वर्ष	4500		4500	1500				200	6200
एम.ए.–प्रथम वर्ष अंग्रेजी	5000		5000	2000					7000
एम.ए.–द्वितीय वर्ष अंग्रेजी	5000		5000	2000				200	7200
एम.कॉम.–प्रथम वर्ष	10000		10000						10000
एम.कॉम.–द्वितीय वर्ष	10000		10000					200	10200
एम.एस.सी.–प्रथम वर्ष	10000		10000			200			10200
एम.एस.सी.–द्वितीय वर्ष	10000		10000			200			10200

विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

1. महाविद्यालय में शस्त्र, मोबाइल, पान, मसाला, गुटखा, आदि लाना या खाना, सिगरेट बीड़ी लाना या पीना वर्जित हैं पकड़े जाने पर 100 रु0 जुर्माना देय होगा एवं प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है।

2. सभी विद्यार्थी महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वच्छता रखने का विशेष ध्यान रखेंगे।

3. कोई भी विद्यार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण अथवा शान्ति व्यवस्था विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।

4. विद्यार्थी दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे।

5. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रतिदिन परिचय पत्र साथ लाना आवश्यक है तथा मांगने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

6. यदि कोई विद्यार्थी 15 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम व्याख्यान पंजिका से काटा जा सकता है।

7. विद्यार्थियों को यह सावधानी रखनी होगी कि वे किसी भी अनैतिक मूलक या अपराध मूलक अभियोगों से दूर रहें अन्यथा उसका नाम महाविद्यालय की पंजिका से पृथक् कर दिया जायेगा।

8. संस्थागत विद्यार्थियों के अतिरिक्त किन्ही भी बाहरी व्यक्तियों का शैक्षणिक परिसर में प्रवेश सर्वथा वर्जित है। विद्यार्थी अपने साथ बाहरी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से न लायें।

9. भूतपूर्व विद्यार्थी, अभिभावक एवं कालेज कार्य से सम्बंधित कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं हेतु प्रशासनिक खण्ड में स्थित कार्यालय में ही सम्बंधित व्यक्ति से सम्पर्क कर अपना कार्य सम्पादित करेंगे तथा शैक्षिक परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। विशिष्ट प्रयोजन होने पर प्राचार्य या मुख्य अनुशासक की अनुमति से ही शैक्षिक परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

10. खोई हुयी वस्तु पाने पर उसे अपने विवरण के साथ तुरन्त कार्यालय प्रभारी/प्राचार्य के पास जमा करें।

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 250 रु0 का भुगतान कर कार्यालय से विवरण पुस्तिका (आवेदन पत्र सहित) प्राप्त कर लें।
2. स्नातक व परास्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु वेब पंजीकरण के बाद ही आवेदन पत्र कालेज में मान्य हो सकेंगे।
3. विवरण पुस्तिका का ठीक से अध्ययन करके आवेदन पत्र पूर्णत: भरें तथा निम्न संलग्नक अनिवार्यत: लगायें-
   - चरित्र प्रमाण-पत्र
   - केवल अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक की प्रमाणित (प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी हाईस्कूल एवं इण्टर या उनके समकक्ष दोनों के प्राप्तांकों की प्रमाणित प्रतिलिपि लगायें)। यदि प्राप्तांक उपलब्ध न हों तो भी समय के अन्दर पंजीकरण करा लें तथा अंकतालिका प्रवेश साक्षात्कार के समय अवश्य लायें।
   - अर्ह परीक्षा तथा आवेदन करने के मध्य यदि कोई अन्तराल है तो इस अवधि में किये गये अध्ययन कार्य का प्रमाण, अन्यथा शपथ पत्र।
   - प्रत्येक अभ्यर्थी पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ अपने प्रवेश-पत्र पर चिपकायें।
   - यदि प्रवेश में आरक्षण के अधिकारी हों तो उसका घोषणा-पत्र।
   - यदि प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंक के अधिकारी हों तो उसका प्रमाण-पत्र।
4. बी. ए. एवं बी. एस-सी., बी. कॉम. प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी :

   कार्यालय में रु0 2/- पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करें।

   प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना-पट पर लगा दी जायेगी। निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु (1) सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतिलिपि (2) ट्रांसफर सर्टिफिकेट, (3) शुल्क राशि, (4) अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि पहले न जमा की हो) एवं (5) एक फोटोग्राफ सहित निर्धारित गणवेश में उपस्थित हों।
5. अन्य कक्षाओं के प्रवेशार्थी :-

   अपनी कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथियों में किसी दिन (1) सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतिलिपि (2) ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो) (3) कुल शुल्क राशि तथा पंजीकरण राशि (4) एक फोटोग्राफ सहित निर्धारित गणवेश में उपस्थित हों।
6. दूसरे विद्यालय से आने वाले प्रवेशार्थी पंजीकरण के समय टी. सी. जमा न करें, क्योंकि जमा किये कागजात वापस नहीं किये जायेंगे। **शुल्क जमा रसीद लेते समय टी. सी. जमा करना अनिवार्य है।**
7. प्रवेश निश्चित किये जाने पर कुल शुल्क का भुगतान कर दिया जाना आवश्यक है।
8. अनुसूचित जाति के छात्र प्रवेश निश्चित होने पर अपना सेविंग बैंक खाता सेन्ट्रल बैंक, जे. एल. एन. कालेज, एटा में खुलवा लें, तभी प्रवेश पा सकेंगे।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) में विषय चयन
(राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार)

1. बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष)

निम्नलिखित छः विषय–वर्गों में प्रत्येक से एक–एक विषय अनिवार्य रूप से चुना जाना है–

Subject-I	Subject-II	Subject-III	Subject-IV	Subject-V	Subject-VI
Major-I	**Major-II**	**Major-III**	**Elective Minor**	**Vocational**	**Co-curricular**
English	Hindi	Sociology	English	Certificate in Yoga	Food, Nutrition & Hygiene
Sanskrit	Economics	History	Hindi	-	-
Political Science	Political Science	Geography	Sanskrit	-	-
Sociology	Home Science	Hindi	Office Management	-	-
Music	Office Management	Office Management	Physical Education	-	-
Office Management	English	Home Science	Economics	-	-
Physical Education	Physical Education	Physical Education	History	-	-

नोटः– 1. मेजर **Subjects** में जो छात्र दो भाषायें चुनेगा उसे **Minor (Elective)** में भाषा नहीं लेनी है।
2. तीन मेजर **Subjects** में से अधिकतम दो ही प्रयोगात्मक विषयों का चुनाव किया जा सकता है।

2. बी0एस–सी0 प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष)

Group-I:-

Subject-I Major-I	Subject-II Major-II	Subject-III Major-III	Subject-IV Elective Minor (any One)	Subject-V Vocational	Subject-VI Co-curricular
Physics	Mathematics	Chemistry	Physical Education	Certificate in Yoga	Food, Nutrition & Hygiene
-	-	-	Office Management	-	-
-	-	-	English	-	-

Group-II:-

Subject-I Major-I	Subject-II Major-II	Subject-III Major-III	Subject-IV Elective Minor (any One)	Subject-V Vocational	Subject-VI Co-curricular
Zoology	Botany	Chemistry	Physical Education	Certificate in Yoga	Food, Nutrition & Hygiene
-	-	-	Office Management	-	-
-	-	-	English	-	-

3. बी0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष)

Subject-I Major-I	Subject-II Major-II	Subject-III Major-III	Subject-IV Elective Minor (any One)	Subject-V Vocational	Subject-VI Co-curricular
Business Organisation	Business Statistics	Business Communication	Economics	Certificate in Yoga	Food, Nutrition & Hygiene
-	-	-	English	-	-

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

(1) B.A. अंग्रजी, हिन्दी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, इतिहास शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, ऑफिस मैनेजमेंट, संगीत वादन (तवला)

(2) M.A. अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल।

(3) B.Sc. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा

(4) M.Sc. गणित।

(5) B.Com. सभी ग्रुप।

(6) M.Com. सभी ग्रुप।

(7) रोजगार परक पाठ्यक्रम :-

(a) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

(b) Post Graduate Diploma in Computer Programming (P.G.D.C.P.)

(8) शोधकार्य - विश्वविद्यालय की शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त।

विद्यार्थियों के लिए निर्धारित गणवेश
(Prescribed Uniform For Students)

(विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य है)

B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc. M.Com.

छात्राओं के लिए - सफेद कुर्ता, सिलेटी सलवार, सिलेटी कोटी। (सैम्पल कालेज कार्यालय में उपलब्ध है।)

- शीतकाल में सिलेटी कार्डीगन/सिलेटी स्वेटर।

छात्रों के लिए - सफेद कमीज, सिलेटी पैण्ट।

- शीतकाल में नेवी ब्लू ब्लेजर/स्वेटर।

B.B.A.

छात्राओं के लिए - क्रीम कलर का कुर्ता, काली सलवार, काला दुपट्टा, काले जूते।

छात्रों के लिए - क्रीम कलर की शर्ट, काली पैण्ट, काली टाई, काले जूते व मोजे।

शीतकाल में - काला कोट या काला स्वेटर।

प्रतिबन्ध - छात्र/छात्राओं द्वारा कालेज परिसर के भीतर मोबाइल फोन/शस्त्र लाना प्रतिबंधित है।

महाविद्यालय का वैशिष्ट्य

1. **राष्ट्रीय मूल्यॉकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा B^+ ग्रेड प्रदत्त महाविद्यालय ।**
2. महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए निर्धारित गणवेश में ही आना अनिवार्य है।
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनो स्तरों पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने का कीर्तिमान ।
4. विश्वविद्यालय का वृहत्तम नोडल परीक्षा केन्द्र।
5. विश्वविद्यालय में अधिकतम कार्य दिवस का कीर्तिमान।
6. सुदृढ़ एवं कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध।
7. कार्यालय प्रबन्धन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग।
8. 50 कक्षों / सभागारों से युक्त विशाल सुसज्जित भवन।
9. कुशल एवं सुयोग्य प्राध्यापक।
10. समस्त आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ।
11. वार्षिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन।
12. संगोष्ठियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन।
13. खेलकूद में पूरे विश्वविद्यालय में उच्च कीर्तिमान। पुरूष फुटबाल में विश्वविद्यालय चैम्पियन। महिला बास्केट बॉल में विश्वविद्यालय चैम्पियन। अखिल भारतीय बैटबॉल महिला टीम में 6 खिलाड़ी कालेज से चयनित। भारत-नैपाल प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों सहित टीम विजयी घोषित। उत्तर प्रदेश बैटबॉल महिला टीम में कॉलेज की 12 छात्राएं चयनित जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर है।
14. महाविद्यालय प्रांगण में बैंकिग सुविधा।
15. सुरक्षित साइकिल स्टैण्ड की उचित व्यवस्था।
16. राष्ट्रीय सेवा योजना की 2 इकाइयो का संचालन।
17. रोजगार परक पाठ्यक्रमों का संचालन **(B.B.A.)**
18. विज्ञान संकाय।
19. व्यवसाय प्रबंधन संकाय।
20. **वाणिज्य-संकाय।**
21. कम्प्यूटर प्रयोगशाला (आई.टी.)
22. NCC प्रस्तावित ।
23. **M. Sc.** (गणित)
24. **M. Com.**

सुविधा सृजन

1973	–	राष्ट्रीय सेवा योजना, सह – शिक्षा व्यवस्था
1977	–	बैंक का विस्तार पटल (शाखा में परिवर्तित वर्ष 2011 से)
1978	–	साईकिल स्टैण्ड
1990	–	व्यायामशाला
1991	–	विद्यार्थियों के लिए गणवेश
1995	–	व्यायाम में मल्टी – जिम सुबिधा – हार्ड कोर्ट सुबिधा सृजन
1996	–	सम्पूर्ण महाविद्यालय के लिए इलैक्ट्रिक जैनरेटर
1997	–	रोजगार ब्यूरो की सुबिधा
1998	–	आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग (Fax, E-mail, Scanner & EPBX) टेलीफोन, इन्टरनेट व्यवस्था
2000	–	स्टॉफ एवं विद्यार्थियों के लिए पृथक्–पृथक् शीतल जल की व्यवस्था
2003	–	सुसज्जित प्राध्यापक–कक्ष
2005	–	विशाल गर्ल्स कॉमन रूम (Girls' Common Room) की सुबिधा
	–	स्नातकोत्तर विभागीय सुसज्जित कक्ष
2011–12	–	खुला समस्या समाधान केन्द्र। (Open problem solving centre)
	–	आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर (आई.टी.) प्रयोगशाला द्वारा प्रशिक्षण।
2016–17	–	स्मार्ट क्लासेस द्वारा अध्ययन।
	–	सी.सी.टी.वी. कैमरे द्वारा सुरक्षा व्यवस्था।
2019–20	–	साउण्ड प्रूफ मल्टिपिल आडिटोरियम (प्रगति पर)
	–	वातानुकूलित पुस्तकालय (प्रस्तावित)
	–	एन. सी. सी. प्रस्तावित

प्राचार्य

कॉलेज का संक्षिप्त इतिहास

वर्ष 1963 में एटा एजूकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में नगर में एक महाविद्यालय स्थापित करने के प्रयास किये गये जो कि वर्ष 1966 में जवाहर लाल नेहरू कॉलेज, एटा के रूप में साकार हुए और उसी समय से यह कॉलेज निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। प्रारम्भ में हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व भूगोल जैसे 6 विषयों में स्नातक कक्षाओं से लेकर वर्तमान में 12 विषयों में स्नातक व 6 विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधा कॉलेज में योग्य शिक्षकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। छात्राओं के लिए गृह विज्ञान व संगीत विषयों का भी प्रबन्ध है। विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान व गणित की तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय की शिक्षा योग्य शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कॉलेज में शोध कार्य करने के लिए 60 हजार पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय है जिसका लाभ अनेक शोधार्थी प्रतिवर्ष उठाते हैं। कॉलेज में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूद व आधुनिक जिम्नेजियम की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। कॉलेज में 02 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) की इकाइयाँ भी कार्यरत हैं। छात्र/छात्राओं को वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण सुसज्जित आधुनिक उपकरणों से प्रशिक्षण दिये जाने की समुचित प्रबन्ध किया गया है, एवं समय-समय पर सेमिनार, बेबीनार का आयोजन किया जाता है।

औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त कालेज में अनेक रोजगारपरक नवीन पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी. बी. ए.) आदि।

छात्र/छात्राओं के लिए वातानुकूलित पुस्तकालय प्रस्तावित है। छात्र/छात्राओं के लिए साइकिल स्टैण्ड की भी व्यवस्था है।

प्रबन्ध समिति व प्राचार्य के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 12 मार्च, 2004 को कॉलेज में दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के **महामहिम राज्यपाल डॉ. विष्णुकांत शास्त्री** ने जनपद में प्रथम बार आकर कॉलेज दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत भाषण दिया।

उत्तरोत्तर प्रगति-पथ पर चलते हुए कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा दिसम्बर 2016 में **B^+** ग्रेड प्रदान किया गया।

प्राचार्य

नगर में कॉलेज की स्थिति

स्थिति :- नगर का एक मात्र शासकीय सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जी0 टी0 रोड (एटा-कानपुर रोड) पर स्थित है। कॉलेज तक पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड से साईकिल रिक्शा यातायात का प्रमुख साधन है। कॉलेज की दूरी रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड से क्रमशः 4 व 2 किलोमीटर है।

एटा नगर : भौगोलिक स्थिति

एटा नगर की स्थिति मानचित्रानुसार - अक्षांश (Longitude) 27°22'28" तथा देशान्तर (Latitude) 78°38'56" है और औसत तापमान (Average Temp) 25.44°C है।